Serial No. 140 / 2016.

Eastern Railway

No. E.11/0/Pt.V

Kolkata, dated 08.11.2016.

ALL CONCERNED

Sub : Creation of posts for new assets – "Pool of Surrendered Posts"

A copy of Railway Board's letter no E(MPP)/2010/1/67 dated 28.10.2016 **(RBE No. 127/2016)** is forwarded for information, guidance & immediate necessary action. Railway Board's earlier letter No.E(MPP)2003/1/88 dated 05.04.2006 mentioned therein is also attached.

DA : As above

(J.P. Kusumakar)
Dy Chief Personnel Officer(HQ)
for Chief Personnel Officer.

Index No.1018 : In order to plan judiciously to meet the requirement of posts for manning and operating new assets, especially in safety categories keeping in mind currently identified redundancies, there is a need to maintain a "Pool of Surrendered Posts" - Guidelines thereof.

Scanned by CamScanner

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RBE No. 127 /2016.

No.E(MPP)/2010/1/67 New Delhi, dated 28.10.2016.

The General Managers,
All Indian Railways including Production Units.

Sub: Creation of posts for new assets - "Pool of Surrendered Posts"
Ref: Board's letter No. E (MPP)/2003/1/88 dated 5.4.2006

Manpower planning requires continuous review of sanctioned strength in view of changes in technology, working systems and redundancies. It is also necessary to plan judiciously to meet the requirement of posts for manning and operating new assets, especially in safety categories. Hence in respect of currently identified redundancies, there is a need to identify and maintain a "Pool of Surrendered Posts". This will help avoid initiating any recruitment action, even inadvertently, for the posts put in this surrendered pool. Existing instructions provide for creation of posts through matching surrender and by utilizing the money value available in the Vacancy Bank with the Zonal Railways/PUs etc. In cases, where the Zonal Railways/PUs are unable to provide money value on their own, proposals are required to be sent to the Railway Board.

Powers had already been delegated to DRMs to meet the requirement of posts in safety and operational categories for new assets on a 1:1 basis, with the approval of the General Manager vide letter No.E(MPP)/2003/1/88 dated 05.04.2006 (RBE No.45/2006).

In order to empower the Zonal Railways to meet the requirement of additional posts for new assets and for safety and operational activities within their own resources and taking recourse to the above new concept of "pool of surrendered posts', the following instructions are issued. These powers are to be exercised by judicious review of existing and required manpower.

(A) <u>Identification of "Pool of Surrendered Posts"</u>

i) At the beginning of every financial year, each GM/DRM shall carry out a Zero Based Review of all posts appearing in the Book of Sanctions, the total workload and decide in consultation with PHODs/Branch Officers, as the case may be, the posts which are required to be operated and the posts which are not required to be filled up immediately or are not required to be operated. Such vacant posts should be identified with due diligence and these should be segregated from BOS and shown in a separate "Pool of Surrendered Posts". Concurrently, surrender memorandum duly indicating therein the Division/Unit, Department, Category/designation of the post, Pay Band, Grade Pay, the date of credit to this Pool, without indicating money value of the post surrendered for those segregated posts, may also be issued before adding the same to the surrendered pool.If some such posts are currently filled up, action needs to be taken as per para (B) below.

ii) Posts which have been lying vacant for long periods and for which no indents have been placed and are no longer required to be filled up as per current needs should also be included in this "Pool of Surrendered Posts" and taken out from the Book of Sanctions (BOS) by issuing surrender memorandum as mentioned above. All these posts shall be maintained in the "Pool of Surrendered Posts". Recruitment action against these posts shall not be initiated.

iii) This exercise should be completed in respect of all departments and categories controlled by the Division/Railway, within the first month of the financial year i.e by 30th April every year.

iv) A similar exercise to identify the vacancies should be continuously undertaken in the PUs also and posts identified which are no more required, either due to phasing out/modernization of production line or outsourcing. These posts should also be taken out from BOS and shown in "Pool of Surrendered posts" and concurrent surrender memorandum issued as mentioned above. The money value of these posts can also be utilized to create the posts in safety/operational categories for new assets/new PUs/expansion of existing PUs in the same manner as explained at para (C) below.

v) While identifying "Pool of Surrendered Posts" as above, it may be ensured that promotional prospects of the existing employees, who are having avenue of promotion to these posts as per recruitment rules, are not adversely affected.

vi) Once identified, certification of "Pool of Surrendered Posts" and revised Book of Sanctions along with issue of surrender memorandum as mentioned above will be done by Personnel and Accounts officers.

vii) A Register listing posts in the "Pool of Surrendered Posts" should be maintained, duly indicating therein the Division/Unit, Department, Category/designation of the post, Pay Band, Grade Pay, the date of credit to this Pool and date of debit from this Pool, by way of withdrawal/redesignation along with suitable remarks and signed yearly by the Personnel and Accounts Officers. The format for this register is enclosed as Annexure.

(B) Creation of Supernumerary Posts

The posts which may be manned, but which may not be needed or will not be needed in the near future, should also be identified and converted into supernumerary posts. Supernumerary posts should be created for not more than 6 months and the surplus staff should necessarily be re-deployed within this 6 month period. For such of the supernumerary posts, where surplus staff are re-deployed within this 6 months period, the substantive posts can be put in the " pool of surrendered posts" and other posts may be created only in Safety/Operational categories as are needed for new assets, without routing it through the vacancy bank as per procedure indicated in para (C) below.

(C) Utilisation of "Pool of Surrendered Posts" and Supernumerary Posts

i) The posts included in the "Pool of Surrendered Posts", can be used to create safety category posts needed for new assets only. In no case can it be used to create non-safety category posts. Posts cannot be withdrawn from this 'Pool', to meet statutory requirements or for Vigilance or Security organizations etc, as Railway Board alone is competent for creation of posts in these departments.

ii) Safety category posts or other operational posts which are to be created out of this surrendered pool can be done in the pay band and grade pay as that of the surrendered posts or other posts in different grade pay as per equivalent money value basis at any given point of time. The money value of both surrender and creation will be calculated simultaneously and at the time of creation only as per currently applicable money value and not the historical costs when it was put in the pool of surrendered posts.

iii) In a Division, utilisation of pool of surrendered posts as per 'A' and 'B' above and creation of new posts in various grades as per requirement within a unit or from one Unit to another or from one Department to another, can be done by DRMs with concurrence of associate Finance. This will now not require GM's approval, as was required by Board's Letter No.E(MPP)/2003/1/88 dated 05.04.2006 (RBE No.45/2006).

iv) Utilisation of posts included in "Pool of Surrendered Posts" from one Division/Workshop to another Division/Workshop can be permitted by GM with concurrence of associate Finance.

v) Board can also order transfer of money value by surrender of posts from "Pool of Surrendered Posts" from any Zonal Railway/PU to another, when Board decides that the Recipient Zonal Railway/PU is in need of the same for creation.

vi) Requirement of posts for new Production Units and Workshops which have come up recently, will be met from Vacancy Bank of the Railways as identified and ordered by the Board.

vii) Posts identified for surrender by Railway Board or identified for surrender due to Work Study Reports, shall not be used for creation on the basis explained in para (C) herein. On surrender, their money value shall continue to be credited to the Vacancy Bank as per extant orders with 25% share going to Railway Board.

viii) The accountal of the posts in the "Pool of Surrendered Posts" will be maintained by the CPO for the Zonal Railway/PU and the Sr.DPO for the Division, as the case may be. The proposals shall be processed by the Personnel branch and routed through Associate Finance at Divisions/Zonal levels as the case may be.

(D) GENERAL

i) The recognized Unions/Staff Council may be kept informed.

ii) This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

DA: Annexure
Hindi version will follow.

(Anuradha Singh)
Director (MPP)
Railway Board.

No. E(MPP)2010/1/67 **New Delhi, Dated 28.10.2016**

Copy to:

(i) The FA&CAOs, All Indian Railways including Production Units.

(ii) Pay & Accounts Officer, Railway Board.

(Anuradha Singh)
Director (MPP)
Railway Board

No. E(MPP)2010/1/67 **New Delhi, Dated 28.10.2016**

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi, with 35 spares.
2. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi, with 35 spares.
3. The Secretary General FROA, Room No.256-A Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
4. The Secretary General, IRPOF, Room No.268 Rail Bhavan New Delhi with 5 spares
5. The Secretary RBSS Group 'A' Officers Association, Room No.462, Rail Bhavan.
6. All Members, Departmental Council and Secretary Staff side National Council 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi with 90 spares
7. The Secretary General, AIRPF Association, Room No,256 Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.

For Secretary/Railway Board

No.E(MPP)/2010/1/67 **New Delhi, dated28.10.2016.**

Copy to the Dy. Comptroller & Auditor General of India(Railways), New Delhi with 40 spares.

For Financial Commissioner/Railways.

Copy to:

CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, DG(RHS), DG(RPF), AM(Budget), AM(CE), AM(C&IS), AM(Comml), AM(Elect), AM(Fin.), AM(Mech.), AM(Plg), AM(Project), AM(PU), AM(Sig), AM(Staff), AM(Rly Stores), AM(T&C), AM(Telecom), AM(Traffic), AM(Works), Adv.L(RS), Adv(Vig), Adv.Fin(Exp), Adv(IR), LA, OSD(MIS).

ED(Plg), ED(Accts), EDF(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg), ED(Coaching), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev), EDEE(G), EDE, ED(RRB), EDE(N), EDE(Res), EDF, EDF(E), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDLM, ED(MIS), EDE(GC), ED(T&MPP), EDME(Chg), EDME(Fr.), EDME(Tr.), EDME(TOT), EDME(Dev), EDME(W), ED(PC)I, ED(PC)II, ED(PP), ED(Project), ED(Project/DMRC, EDRE, ED(safety), JS, JS(C), JS(E), JS(G), JS(P), IG/RPF(Hqs), IG/RS, ED(Sig), ED(Stat & Econ), EDRS(C), EDRS(C), EDRS(G), EDRS(P), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), EDTT(M), EDT(MC), EDT(P), ED(T&C), EDCE(P), ED(PM), ED(PG), EDTC®, EDTC(FM), EDTT(F), EDTT(FM), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(T), ED(W).

E(Trg), E(NG)I, E(NG)II, E(G), F(E)III and Budget Branches of Railway Board

ANNEXURE

PROFORMA of Register "Pool of Surrendered Posts"*

Railway:			Division/Unit:			Department:							
SN	Post	Location	Controlling Authority	Grade & Grade Pay (VI PC)	Vacant since (MM/YY YY)	Date Transferred to "Pool" (Ref No. & Date)	Reasons for Transfer in: Not Needed	Post transferred out of "Pool" to Deptt./Location (Ref No. & Date)	Reasons for Transfer out: Creation/ Transfer as per Board order	Date of creation/ transfer	Money value at the time of Creation /Transfer	Utilised on which Railway Divn/PU	Remarks

* Hereinafter referred to as "Pool"

Note: 1. Statement will have different pages for different Departments.

2. This statement should be updated yearly and duly signed by Personnel & Accounts.

3. It should be formally put up to GM/DRM periodically

P-16/C

Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

RBE NO. 45/2006

No.E(MPP)2003/1/88

New Delhi dated 5.04.06

The General Manager,
All Indian Railways including Production Units
CORE/Allahabad
Metro Railway/Kolkata
COFMOW/New Delhi.
The Director General.
RDSO/Lucknow.

Sub: - Creation of posts required for Maintenance and operation of new assets

Ref: - Board's letter No.E(G)96 EC2-1 dated 7.8.96 (RBE No.65/96)

As per Railway Board's letter No.E(G)98EC2-3 dated 3.8.98, the powers to create non-gazetted Group 'C' & 'D' posts required for maintenance and operation of new assets with matching surrender of posts of equivalent money value was delegated to Divisional Railway Managers. They were permitted to operate a Vacancy Bank in their Division by crediting up to a maximum of 50% of the money value of the posts surrendered by them and the balance to be credited to the HQ Vacancy Bank.

The issue of allowing creation of posts in Safety and operational categories has been under consideration of Board. It has been decided that the DRMs may be allowed to create the above posts on 1:1 basis, i.e. by surrendering 1 post in a particular grade, a fresh post can simultaneously be created in the same/lower grade, with the approval of General Manager. The revised stipulation as above is however, subject to surrender of posts as advised in this office letter No.E(MPP)2005/1/54/Vol.II dated 27.2.06 followed by ED(Trg.&MPP) letter dated 8.3.06.

This issues with the concurrence of the finance directorate of the Ministry of Railways.

(P. Ananth)
Director(MPP)
Railway Board.

AGM, SDGM, CPO, COM, CMD, CSO, FA & CAO

Scanned by CamScanner

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

आरबीई सं. 127/2016

सं. ई(एमपीपी)/2010/1/67 **नई दिल्ली, दिनांक 28.10.2016**

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.

विषय: नई परिसंपत्तियों के लिए पदों का सृजन-"सरेण्डर किए गए पदों का पूल।"
संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 05.04.2016 का पत्र सं. ई(एमपीपी)/2003/1/88.

जनशक्ति योजना के लिए प्रौद्योगिकी, कार्य-प्रणालियों में परिवर्तनों और पदों के फालतू हो जाने को देखते हुए स्वीकृत पदों की संख्या की निरन्तर समीक्षा करना अपेक्षित हैं। नई परिसंपत्तियों खास तौर पर संरक्षा कोटियों के कार्य संचालन और उनके परिचालन के लिए पदों की जरूरत को पूरा करने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से योजना बनाना भी आवश्यक है। अतः इस समय चिह्नित फालतू पदों के मामले में "सरेण्डर किए गए पदों के एक पूल" को चिह्नित करने और उसे बनाए रखने की आवश्यकता है। इससे इस सरेण्डर वाले पूल के पदों के लिए भूलवश भी किसी प्रकार की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने से बचा जा सकेगा। मौजूदा अनुदेशों में मैचिंग सरेण्डर के माध्यम से और क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों आदि के पास वैकेंसी बैंक में उपलब्ध 'मनी वैल्यू' का इस्तेमाल करके पदों का सृजन करने का प्रावधान है। जिन मामलों में क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाइयां अपने आप 'मनी वैल्यू' मुहैया करने में असमर्थ रहती है, ऐसे मामलों में प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजे जाने अपेक्षित हैं।

दिनांक 05.04.2006 के पत्र सं. ई(एमपीपी)/2003/1/88 (आरबीईसं. 45/2006) के माध्यम से मण्डल रेल प्रबंधकों को महाप्रबंधक के अनुमोदन से 1:1 के आधार पर नई परिसंपत्तियों के लिए संरक्षा और परिचालनिक कोटियों में पदों की जरूरत को पूरा करने के लिए पहले ही शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

अपने स्वयं के स्रोतों से नई परिसंपत्तियों और संरक्षा तथा परिचालनिक कार्यकलापों के लिए अतिरिक्त पदों की जरूरत को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय रेलों को शक्ति प्रदान करने और उपर्युक्त "सरेण्डर किए गए पदों के पूल" की नई अवधारणा का मार्ग अपनाने के लिए निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जाते हैं। इन शक्तियों का प्रयोग विद्यमान और अपेक्षित जनशक्ति की बुद्धिमतापूर्ण ढंग से समीक्षा करके की जानी है।

(क) "सरेण्डर किए गए पदों के पूल" को चिह्नित करना

i) प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में प्रत्येक महाप्रबंधक/मण्डल रेल प्रबंधक 'स्वीकृति पुस्तिका' में दर्ज सभी पदों, कुल कार्य-भार का जीरो आधारित समीक्षा करेंगे और प्रधान विभागाध्यक्षों/शाखा अधिकारियों, जैसा भी मामला हो, के परामर्श से यह निर्णय करेंगे कि किन पदों को परिचालित रखना अपेक्षित नहीं है और किन पदों को तत्काल भरा जाना अपेक्षित नहीं है अथवा परिचालित रखना अपेक्षित है। ऐसे रिक्त पदों को समुचित सावधानीपूर्वक चिह्नित किया जाना चाहिए और इन्हें स्वीकृत पुस्तिका (बीओएस) से अलग किया जाना चाहिए और इन्हें "सरेण्डर किए गए पदों के पूल" में अलग से दर्शाया जाना चाहिए। साथ ही इन्हें सरेण्डर पूल में जोड़ने से पहले सरेण्डर ज्ञापन भी जारी किया जाना चाहिए, जिसमें मण्डल/यूनिट, विभाग, पद की कोटि/पदनाम, पे बैंड, ग्रेड पे, उन अलग किए गए पदों के लिए सरेण्डर किए गए पदों की मनी वैल्यू का उल्लेख किए बिना इस पूल में क्रेडिट करने की तारीख का उल्लेख हो। यदि ऐसे कुछ पद इस समय भरे हों तो ऐसी स्थिति में नीचे पैरा (ख) के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

ii) जो पद लम्बी अवधि से रिक्त पड़े हैं और जिन पदों के लिए कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और जिन्हें वर्तमान जरूरतों के अनुसार भरा जाना अपेक्षित नहीं है, उन्हें भी इस ''सरेण्डर किए गए पदों के पूल'' में शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, सरेण्डर ज्ञापन जारी करके स्वीकृति पुस्तिका से हटा दिया जाए। इन सभी पदों को ''सरेण्डर किए गए पदों के पूल'' में रखा जाएगा। इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी।

iii) मण्डल/रेलवे द्वारा नियंत्रित सभी विभागों/कोटियों के मामले में यह कार्य वित्त वर्ष के पहले माह के भीतर अर्थात् प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाना चाहिए।

iv) उत्पादन इकाइयों में भी रिक्तियों को चिह्नित करने के लिए निरन्तर इसी प्रकार का कार्य किया जाना चाहिए और ऐसे पदों, जो प्रोडक्शन लाइन को धीरे-धीरे समाप्त करने/आधुनिकीकरण किए जाने अथवा आउट-सोर्स किए जाने के कारण अब अपेक्षित न हों, उन्हें भी स्वीकृति पुस्तिका से हटा दिया जाना चाहिए और इन्हें ''सरेण्डर किए गए पदों के पूल'' में दर्शाया जाना चाहिए और साथ ही जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है सरेण्डर ज्ञापन जारी किया जाना चाहिए। इन पदों के मनी वैल्यू का इस्तेमाल नीचे पैरा (ग) में दिए गए तरीके से नई परिसंपत्तियों/नई उत्पादन इकाइयों/विद्यमान उत्पादन इकाइयों के विस्तार के लिए संरक्षा/परिचालनिक कोटियों के पदों के सृजन के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

v) उपर्युक्त के अनुसार ''सरेण्डर किए गए पदों के पूल'' को चिह्नित करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि उन विद्यमान कर्मचारियों, जिनकी भर्ती नियमों के अनुसार इन पदों पर पदोन्नति की संभावना है, की पदोन्नति की संभावनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

vi) इन पदों को चिह्नित कर लेने के बाद ''सरेण्डर किए गए पदों के पूल'' का प्रमाणन और ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार सरेण्डर ज्ञापन जारी करने के साथ स्वीकृति की संशोधित पुस्तिका को जारी करने का कार्य कार्मिक और लेखा अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए।

vii) एक रजिस्टर रखा जाना चाहिए जिसमें उन पदों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए जो "सरेण्डर किए गए पदों के पूल" में डाले गए हों, जिसमें विधिवत् रूप से मण्डल/यूनिट, विभाग, पदों की कोटि/पदनाम, पे बैण्ड, ग्रेड पे, उपर्युक्त टिप्पणी के साथ वापस लिए जाने/पुनर्नियुक्त किए जाने के कारण इस पूल में क्रेडिट करने की तारीख और इस पूल में डेबिट करने की तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए और इसमें कार्मिक एवं लेखा अधिकारियों द्वारा हर वर्ष हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। इस रजिस्टर का फार्मेट अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

(ख) <u>फालतू पदों (Supernumerary Posts) को चिह्नित करना</u>

ऐसे पद जिनका प्रावधान हो परन्तु जिनकी आवश्यकता नहीं हो अथवा जिनकी निकट भविष्य में कोई आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें भी चिह्नित करके उन्हें फालतू पदों के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए। पदों को फालतू के रूप में 6 माह से अधिक समय के लिए चिह्नित नहीं किया जाना चाहिए और सरप्लस कर्मचारियों को 6 माह के भीतर अनिवार्यत: पुनर्नियोजित किया जाना चाहिए। ऐसे फालतू पदों के लिए जहां सरप्लस कर्मचारियों को 6 माह की अवधि के भीतर पुनर्नियोजित किया जाता है, वहां स्थाई पदों को ''सरेण्डर किए गए पदों के पूल'' में रखा जा सकता है और अन्य पदों को नीचे पैरा (ग) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार वैकैंसी बैंक के माध्यम से बिना रूट किए केवल नई परिसंपत्तियों के लिए यथा-आवश्यक संरक्षा परिचालनिक कोटियों में ही सृजित किया जाएं।

(ग) "सरेण्डर किए गए पदों के पूल" और फालतू पदों का उपयोग करना

i) "सरेण्डर किए गए पदों के पूल" में शामिल पदों का इस्तेमाल केवल नई परिसम्पत्तियों के लिए अपेक्षित संरक्षा कोटि के पदों के सृजन के लिए किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में इसका इस्तेमाल गैर-संरक्षा कोटियों के पदों के सृजन के लिए नहीं किया जा सकता है। सांविधिक जरूरतों को पूरा करने अथवा सतर्कता अथवा सुरक्षा संगठनों आदि के लिए इस पूल से पदों को वापस नहीं लिया जा सकता है क्योंकि इन विभागों में पदों के सृजन के लिए एकमात्र रेलवे बोर्ड ही सक्षम है।

ii) इस सरेण्डर पूल से सृजित किए जाने वाले संरक्षा कोटि के पदों अथवा अन्य परिचालनिक पदों का सृजन किसी निश्चित समय में समतुल्य मनी वैल्यू के अनुसार विभिन्न ग्रेड पे में सरेण्डर किए गए पदों अथवा अन्य पदों के पे बैण्ड और ग्रेड पे में ही किया जा सकता है। सरेण्डर और सृजित किए गए दोनों की मनी वैल्यू की गणना एक साथ की जाएगी और यह सृजन के समय लागू मनी वैल्यू के अनुसार ही किया जाएगा और न कि उस समय जब इसे सरेण्डर पदों के पूल में रखा गया था, की पुरानी लागत के अनुसार।

iii) किसी मण्डल में ऊपर 'क' और 'ख' के अनुसार सरेण्डर किए गए पदों के पूल का इस्तेमाल और एक यूनिट के भीतर अथवा एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अथवा एक विभाग से दूसरे विभाग में जरूरत के अनुसार विभिन्न ग्रेडों में नए पदों का सृजन मण्डल रेल प्रबंधकों द्वारा सम्बद्ध वित्त के परामर्श से किया जा सकता है। इसके लिए अब महाप्रबंधकों का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा जैसा कि बोर्ड दिनांक 05.04.2006 के पत्र सं. ई(एमपीपी)/2003/1/88 (आरबीई सं.45/2006) के अनुसार अपेक्षित था।

iv) एक मण्डल/वर्कशॉप से दूसरे मण्डल/वर्कशॉप में "सरेण्डर किए गए पदों के पूल" में शामिल पदों का इस्तेमाल करने की अनुमति महाप्रबन्धक द्वारा सम्बद्ध वित्त के परामर्श से दी जा सकती है।

v) जब बोर्ड यह निर्णय करे कि प्राप्त करने वाली रेलवे/उत्पादन इकाई के लिए पदों के सृजन की जरूरत है तो बोर्ड किसी क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई से दूसरे में "सरेण्डर किए गए पदों के पूल" से पदों को सरेण्डर करके मनी वैल्यू को ट्रांसफर करने का भी आदेश कर सकता है।

vi) ऐसी नई उत्पादन इकाइयां तथा वर्कशाप, जिन्हें हाल ही में स्थापित किया गया है, के लिए पदों की जरूरत को बोर्ड द्वारा यथा चिह्नित तथा आदेशित वैकेंसी बैंक से पूरा किया जाएगा।

vii) रेलवे बोर्ड द्वारा सरेण्डर के लिए चिह्नित किए गए पदों तथा वर्क स्टडी की रिपोर्टों के कारण सरेण्डर के लिए चिह्नित किए गए पदों का इस्तेमाल इसके पैरा (ग) में उल्लिखित आधार पर सृजन करने के लिए नहीं किया जाएगा। सरेण्डर करने पर उनकी मनी वैल्यू को मौजूदा आदेशों के अनुसार वैकेंसी बैंक में क्रेडिट किया जाना जारी रहेगा और 25% शेयर रेलवे बोर्ड को जाएगा।

viii) ''सरेण्डर किए गए पदों के पूल'' में रखे गए पदों का लेखा-जोखा, क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों के मामले में मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा और मण्डलों के मामले में वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी द्वारा रखा जाएगा। इन प्रस्तावों पर कार्रवाई कार्मिक शाखा द्वारा की जाएगी और इन्हें मण्डलों/क्षेत्रीय रेलों, जैसा भी मामला हो, के सम्बद्ध वित्त के माध्यम से रूट किया जाएगा।

(घ) <u>सामान्य</u>

i) मान्यताप्राप्त यूनियनों/स्टाफ काउंसिल को सूचित किया जाए।

ii) इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

संलग्न: अनुलग्नक

(अनुराधा सिंह)
निदेशक (एमपीपी)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(एमपीपी)/2010/1/67 **नई दिल्ली, दिनांक 28.10.2016**

प्रतिलिपि प्रेषित:

(i) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.
(ii) वेतन एवं लेखाधिकारी, रेलवे बोर्ड.

(अनुराधा सिंह)
निदेशक (एमपीपी)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(एमपीपी)/2010/1/67 **नई दिल्ली, दिनांक 28.10.2016**

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
3. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
5. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ 90 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली को 90 अतिरिक्त प्रतियों सहित.
7. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256, रेल भवन, नई दिल्ली को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित.

नवीन कुमार
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

सं. ई(एमपीपी)/2010/1/67 **नई दिल्ली, दिनांक 28.10.2016**

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलवे) नई दिल्ली को 40 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें